

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (ख) (4) अलेसे-I/पार्ट-IV/
अधिसूचना

दिनांक:- 5-5-13

विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.2 (ख) (4) अलेसे-I/ 35-1082 दिनांक 09.04.13 के द्वारा सहायक लेखाधिकारियों की दिनांक 01.04.13 की स्थिति के अनुरूप अन्तरिम वरिष्ठता सूची जारी की जाकर दिनांक 30.04.13 तक आपत्तियां आमन्त्रित की गयी थीं। इस सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् दिनांक 09.04.13 को जारी अधिसूचना में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. क्रम संख्या 628 पर अंकित "वीना कासलीवाल" के स्थान पर "वीना जैन" किया जाता है।
2. क्रम संख्या 52 पर अंकित भूपेन्द्र कुमार जैन की जन्मतिथि "20.07.57" के स्थान पर "20.04.57" की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त वरिष्ठता के संबंध में प्राप्त अन्य आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् सहायक लेखाधिकारियों की वरिष्ठता उक्त अधिसूचना दिनांक 09.04.13 के अनुरूप यथावत रखी जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त अधिसूचना दिनांक 09.04.13 के द्वारा जारी सहायक लेखाधिकारियों की अन्तरिम वरिष्ठता सूची को दिनांक 01.04.13 की स्थिति के अनुरूप अन्तिम वरिष्ठता सूची समझा जावे।


(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (ख) (4) अलेसे-I/पार्ट-IV/1265-23-12

दिनांक:- 5-5-13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. एसीपी (उपनिदेशक), कम्प्यूटर अनुभाग को वेबसाईट हेतु एवं समस्त कोषाधिकारियों को ई-मेल कराये जाने हेतु।
4. श्री , स0ले0अ0, कार्यालय
5. समस्त कोषाधिकारियों को भिजवाकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराना सुनिश्चित करावे।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. गार्ड फाइल/ निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)